JEEViKA
An Initiative of Government of Bihar for Poverty Alleviation
Bihar Rural Livelihoods Promotion Society
State Rural Livelihoods Mission, Bihar
1st Floor, Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna - 800 021; Ph. : +91-612-250 4980; Fax : +91-612-250-4960; e-mail : info@brlp.in; Website : www.brlp.in

कार्यालय आदेश

निबंधित ग्राम संगठनों (प्राथमिक समिति) का आमेलन हेतु मार्गदर्शन

बिहार ग्रामीण प्रोत्साहन समिति द्वारा 25 जिलों में 756 ग्राम संगठनों का बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के अंतर्गत प्राथमिक समिति के रूप में और 7 संकुल स्तरीय संगठनों का केन्द्रीय सहकारी समिति के रूप में निबंधित है। संशोधित निर्णयानुसार, वर्तमान में त्रि-स्तरीय सामुदायिक संस्थागत संरचना को यथावत रखते हुए संकुल स्तरीय संगठनों को वैधानिक अस्तित्व प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्वावलंबी सहकारी समिति के रूप में **बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 (Act No. 2 of 1997)** अंतर्गत निबंधित किया जा रहा है। चूँकि एक कार्यक्षेत्र में समान प्रकृति और कार्य करने वाली एक ही समिति होगी इसलिए पूर्व में निबंधित ग्राम संगठनों को आमेलित करना आवश्यक है। **बिहार स्वावलंबी सहकारी समिति अधिनियम 1996 के धारा 11** में आमेलन प्रावधान के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया:

1. सर्वप्रथम सभी निबंधित समिति (ग्राम संगठन)/ संकुल स्तरीय संगठन का अंकेक्षण (FY:2021-22) होगा। साथ ही सभी निबंधित समितियों के पूर्व वित्तीय वर्ष का भी अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। निबंधित समितियों का अंकेक्षण सहकारिता विभाग द्वारा सूचीवद्ध (Empanelled) अंकेक्षक या ऑडिट फर्म एवं राज्य कार्यालय, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के सहयोग से कराया जायेगा।
2. अंकेक्षण उपरांत सभी समिति आम सभा आयोजित कर आमेलन का प्रस्ताव अनुमोदित करेंगी **(धारा 11 (4))**। इस आमेलन प्रक्रिया में, सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी स्थानान्तरण और सहमति पत्र निर्गत करना मुख्य प्रस्ताव होगा।
3. अनुमोदन के बाद निदेशक पर्षद/ निदेशक मंडल द्वारा शेयर धारक, वित्तीय सहायता देने वाली संस्था (जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका) के सहमति हेतु अनुरोध पत्र जारी किया जायेगा जिसकी अवधि जारी करने की तिथि से 30 दिनों तक की होगी। इस अवधि के अन्दर शेयर धारक के समूह की बैठक में इस हेतु प्रस्ताव पारित होगा और सहमति पत्र हस्ताक्षर के साथ समिति में जमा होगा तथा वित्तीय सहायता देने वाली संस्था (जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका) का भी सहमति पत्र लेना आवश्यक है **(धारा 11 (6))**।
4. समिति द्वारा जारी की गयी तिथि से 30 दिनों के अन्दर सहमति पत्र नहीं प्राप्त होने पर स्वतः ही स्वीकृत माना जायेगा **(धारा 11 (7))**।
5. प्रस्तावित समिति के बैंक खाता में सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी स्थानान्तरण होगा।
6. इसके उपरांत सभी समितियों के अंकेक्षण प्रतिवेदन को मिला कर/ आमेलित कर एक अलग संयुक्त वित्तीय प्रतिवेदन/ अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार होगा। निबंधित समितियों का अंकेक्षण सहकारिता विभाग द्वारा सूचीवद्ध (Empanelled) अंकेक्षक या ऑडिट फर्म एवं राज्य कार्यालय, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के सहयोग से कराया जायेगा।
7. सभी समितियों का एक संयुक्त आम सभा आयोजित की जायेगी जिसमें आमेलन, अंकेक्षण प्रतिवेदन, सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी की सूची तथा राशि स्थानान्तरण, आमेलन हेतु दस्तावेज मुख्य प्रस्ताव/ एजेंडा होगा जिसे आम सभा में अनुमोदित कराया जाना आवश्यक है। संयुक्त आम सभा से पूर्व सभी समिति सदस्यता एवं हिस्सा पूँजी रजिस्टर का अद्यतन प्रतिवेदन तैयार करना अनिवार्य है एवं अद्यतन प्रतिवेदन ही संयुक्त आम सभा में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत होगा।
8. इसके बाद आमेलन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय में जमा करना आवश्यक है ।
9. सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा आमेलन का निबंधन प्रमाण पत्र जारी किए जाने के बाद सभी समितियों का निबंधन स्वतः ही समाप्त हो जायेगा और नयी समिति अस्तित्व में होगी **(धारा 11 (10))**।

उपरोक्त गतिविधियों को ससमय पूर्ण किया जाना आवश्यक है जिससे समितियों को सम्बंधित सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर निबंधन किया जायें।

क्र.	गतिविधि	समयावधि	मुख्य जिम्मेदारी	अभियुक्ति
1	प्रत्येक समिति का पूर्व वित्तीय वर्ष एवं अद्यतन/नवीनतम वित्तीय वर्ष (FY:2021-22) अंकेक्षण कराना	7 दिन	सामुदायिक वित्त	
2	आम सभा हेतु आवश्यक दस्तावेज प्रदान करना एवं उन्मुखीकरण	1 दिन	संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन	
3	प्रत्येक निबंधित समितियों का आम सभा का आयोजन करना	2 दिन	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, सी. एल.एफ प्रबंधक, सी. एल.एफ एंकर	अधिनियम :- धारा 11 (4), धारा 11 (6), धारा 11 (7), धारा 11 (10)
4	निदेशक पर्षद द्वारा शेयरधारकों, वित्तीय सहायता देने वाली संस्था के लिए सहमतिपत्र निर्गत और लिखित सहमति लेना	30 दिन	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, सी. एल.एफ एंकर	
5	सदस्यता शुल्क एवं हिस्सा पूँजी का प्रस्तावित समिति के बचत खाता में स्थान्तरित होना	1 दिन	प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक, सी. एल.एफ प्रबंधक, सी. एल.एफ एंकर	
6	सम्बंधित संकुल संघ अंतर्गत निबंधित समितियाँ (ग्राम संगठनों) का संयुक्त वित्तीय प्रतिवेदन/ अंकेक्षण प्रतिवेदन तैयार करना	2 दिन	संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक	
7	संकुल संघ अंतर्गत निबंधित समितियों का एक संयुक्त आम सभा का आयोजन	1 दिन	सुक्ष्म वित्त, प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक	
8	आमेलन हेतु आवश्यक दस्तावेजों को जिला सहकारिता पदाधिकारी / सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय में जमा करना	7 दिन	संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन, सी. एल.एफ एंकर	
9	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा जाँच, एवं आमेलन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	15-30 दिन	संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्द्धन	

सभी जिला परियोजना प्रबंधक को निदेशित किया जाता है कि आमेलन हेतु सम्बंधित समिति को सहमति पत्र प्रदान करें तथा कार्यों/ गतिविधियों की साप्ताहिक समीक्षा कर सम्बंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक, एवं सम्बंधित जिला स्तरीय विषयगत प्रबंधक द्वारा ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।

Signed by Rahul Kumar
Date: 01-06-2022 17:53:56
(राहुल कु Reason: Approved
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-राज्य मिशन निदेशक

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/ अधिप्राप्ति विशेषज्ञ
2. सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक/ राज्य वित्त प्रबंधक/ सहायक वित्त प्रबंधक

3. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ विषयगत प्रबंधक/ प्रबंधक क्षमता वर्धन/ प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रखण्ड परियोजना प्रबंधक/ सी.एल.एफ प्रबंधक
4. सभी सम्बंधित संकुल स्तरीय संघ एवं सम्बंधित समिति
5. सूचना एवं तकनीकी अनुभाग
6. सम्बंधित संचिका

820226/2022/IBCB-JEEVIKA

List of Registered VOs to be Amalgamated			
SN.	Name of District	Name of Block	No. of VO
1	Araria	Araria Sadar	12
2	Bhojpur	Koilwar	12
3		Piro	12
4	Buxar	Sadar	2
5	East Champaran	Chakia	12
6		Patahi	12
7	Gaya	Bodhgaya	20
8		Dobhi	17
9		Khizersarai	32
10		Sherghati	37
11	Gopalganj	Baikunthpur	8
12		Barauli	12
13		Kuchaikote	12
14	Jamui	Jhajha	12
15	Kaimur	Kudra	12
16	Katihar	Falka	12
17	Khagaria	Alauli	20
18		Chautham	6
19		Khagaria	18
20	Lakhisarai	Suryagarha	12
21	Madhubani	Khajauli	4
22		Rajnagar	19
23	Munger	Dharhara	12
24	Muzafarpur	Bochaha	12
25		Minapur	12
26		Mushari	1
27	Nalanda	Harnaut	15
28		Rajgir	19
29		Sarmera	14
30	Nawada	Narhat	12
31		Roh	12
32	Patna	Dhanaura	12
33		Masaurhi	12
34	Purnea	Amour*	34
35		B.Kothi	38
36		Banmankhi	40
37		Dhamdaha	11
38		Rupauli	4
39	Rohtas	Rajpur	12
40		Sasaram	12
41	Saharsha	Pattarghat	36
42		Saurbazar	28
43		Sonbarsa	31
44	Saran	Dariyapur	12
45	Sheikhpura	Sekhopur Sarai	12
46	Sitamarhi	Bajpatti	12
47		Riga	7
48	Supaul	Basantpur	5
49		Triveniganj	5
50		Chhatapur	7
51	West Champaran	Narkatyiganj	2
Total			756